

12/12/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SEC. 3, SUB-SECTION (ii)]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION
INCOME-TAX

New Delhi, the 12th December, 2014

S.O....(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-clauses (iiiab) and (iiiac) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 2BBA the following rule shall be inserted, namely:-
" 2BBB. **Percentage of Government Grant for considering university, hospital etc. as substantially financed by the Government for the purposes of clause (23C) of section 10.**

For the purposes of sub-clauses (iiiab) and (iiiac) of clause (23C) of section 10, any university or other educational institution, hospital or other institution referred therein, shall be considered as being substantially financed by the Government for any previous year, if the Government grant to such university or other educational institution, hospital or other institution exceeds fifty percent. of the total receipts including any voluntary contributions, of such university or other educational institution, hospital or other institution, as the case may be, during the relevant previous year."

[Notification No. 79/2014/F.No.142/12/2014-TPL]

Ashish Kumar
(Ashish Kumar)

Director (Tax Policy and Legislation)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969 dated the 26th March, 1962 and was last amended by, vide notification S.O.3015 (E) dated 28/11/2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, तारीख 12 दिसंबर, 2014


का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iii)कख) और उपखंड (iii)कग) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (13 वां संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 में, नियम 2खखक के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“2खखख. धारा 10 के खंड (23ग) के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा सारवान रूप से वित्तपोषित के रूप में विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि पर विचार करने के लिए सरकारी अनुदान का प्रतिशत”

धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iii)कख) और उपखंड (iii)कग) के प्रयोजनों के लिए कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था, जो उसमें निर्दिष्ट है, पर विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था पर सरकार द्वारा सारवान रूप से वित्तपोषित के रूप में विचार किया जाएगा यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को सरकारी अनुदान, यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को स्वैच्छिक अनुदानों सहित सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है ।”

[अधिसूचना सं. 79.../2014 फा.सं. 142/12/2014-टीपीएल]


(आशीष कुमार)

निदेशक (आयकर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 3015(अ) तारीख 28/11/2014 द्वारा किया गया ।